

I
बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

ग्रा0वि0 अधि0 सं0- 344618 पटना, दिनांक... 22/12/17

ग्रा0वि0-14(नि0को0)मधेपुरा-47/2017


श्री दिवाकर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखंड मधेपुरा (मधेपुरा) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा गठित धावादल द्वारा दिनांक- 30.11.2017 को परिवादी श्री नीतीश कुमार से 50,000/- (पचास हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार के कारा निरोध की तिथि 30.11.2017 के प्रभाव से कारावास की अवधि तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

2) निलम्बन की अवधि में श्री दिवाकर कुमार, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर प्रखंड मधेपुरा (मधेपुरा) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3) कारा से मुक्त होने के उपरान्त श्री कुमार ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना में योगदान देंगे।

4) निलम्बन के आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

जापांक:- 344618 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22.12.17

चपरासी

बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंके में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव।

जापांक:- 344618 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22.12.17

चपरासी

बही

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव।


जापांक:- 344618 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22.12.17

चपरासी

बही/निबंधित/

ईमेल/हाथोहाथ

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला पदाधिकारी, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना / पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा / उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 / प्रभारी पदाधिकारी (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव।

चपरासी
बही/निबंधित/
ईमेल/हाथोंहाथ

जापांक:- 344618 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22.12.17


प्रतिलिपि:- काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना को एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रासंगिक आदेश का तामिला श्री कुमार को अपने स्तर से कराते हुए तामिला प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


संयुक्त सचिव।

जापांक:- 344618 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 22.12.17

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव।